कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक–2840 /FP/UK/ROAD/151058/2022 देहरादून:दिनांक: 27 मई, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद–अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र जोगेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा विकासखण्ड के ग्राम–तुलौड़ी से ग्राम पंचायत नैनी (जिफल्टा) को किलागांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.60 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विपयक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तााव ऑनलाईन इस कार्यालय को प्रेपित किया गया है। विपयांकित वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव का ऑनलाईन परीक्षण करने पर प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियॉ दृष्टिगत हो रही हैं :–

1. प्रस्ताव को बाइण्डिंग कर प्रेपित किया जाय।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1 2 व 3 को प्रस्ताव में क्रमवार संलग्न करें।
3. प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये विपय सूची संलग्न की जाय।
4. प्रस्तावित मोटर मार्ग किस मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है मानचित्रत में स्पप्ट रूप से दर्शाया जाय।
5. प्रस्तावित मोटर में वन पंचायत भूमि प्रभावित हो रही है। प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शैड्यूल में सम्वन्धित वन पंचायत अधिकारी/जिलाधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।
6. ऑनलाईन भरे गये प्रस्ताव के पैरा–A(x) में वन भूमि 1000 वर्पों हेतु व्यवर्तित किये जाने की सूचना अंकित की गयी है। स्थिति स्पप्ट करें।
7. प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट–I, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।
8. प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट–I, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।
9. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
10. प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मीटर एवं 9 मीटर ROW में अलग–अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
11. प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
12. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2044/1–42(III) दिनांक 22–02–2022 एवं शासन के पत्रांक 290/X-3-22/5(03)2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु अपने स्तर से सम्वन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रस्तावक विभाग को निर्देशित करने का कष्ट करें, एवं प्रस्ताव में इंगित कमियों का पूर्ण निराकरण करने के पश्चात प्रस्ताव तीन हार्ड प्रतियों में मूल प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या 2840 /FP/UK/ROAD/151058/2022 तद्दिनांकित।

1. प्रतिलिपि :—प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. प्रतिलिपि :—अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

a/c